भारत में लड़कों का लैंगिक शोषण

नज़रअंदाज़ और अस्वीकार किया गया सच

विकास संवाद इन्फोपैक - 2018

लड़कों से होने वाले बलात्कार को छिपाना सामाजिक नियम है!

कुछ बातें हम भूल जाते हैं और कुछ बातें हम याद नहीं रखना चाहते हैं, कुछ बातें याद रहती हैं, पर हम उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते हैं; ये कोई दार्शनिक निष्कर्ष नहीं हैं. ये हमारे सामाजिक व्यवहार की वास्तविकताएं हैं. *उत्तर भारत से आकर मुंबई में काम करने वाले प्रवासी मजदूर परिवार के 13 साल के लड़के ने चूहे मारने वाला जहर खा लिया. मुंबई के शींव अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई. आठवीं कक्षा के इस लड़के के साथ किसी पुरुष ने "बलात्कार" किया था. चिकित्सा जांच से यह साबित हुआ कि उसके साथ जबरिया लैंगिक प्रवेशन किया गया था. इसके बारे में पुलिस जांच अधिकारी कहते हैं कि यह प्रकरण सामने ही नहीं आता, यदि लड़के ने जहर नहीं खाया होता. उसके पिता भी यही कहते हैं कि लड़का कुछ दिनों से बहुत विचलित था. हम समझ ही नहीं पाये, इसीलिए उसने आत्महत्या की. हमें बदलना होगा ताकि बच्चे अपने साथ होने वाले आघात को कह सकें.*

सभी लोग बच्चों के प्यार करते हैं; इसलिए वे बच्चों को अपनी गोद में बिठाते हैं, उन्हें सहलाते हैं, उन्हें चूमते हैं. कई लोग बच्चों के यौनांगों को भी छूते हैं और उनकी छाती को स्पर्श करते हैं. इसे कौन बुरा मानता है? सच तो यह है कि इस व्यवहार में "मंशा" सबसे मूल चरित्र है. जब कोई "लैंगिक व्यवहार" की मंशा से इस तरह स्पर्श करता है, तब वह व्यवहार लैंगिक शोषण के व्यवहार की श्रेणी में आता है. हमारे समाज में इस मंशा को समझने का कौशल सिखाया ही नहीं गया है. अतः स्नेह का आवरण ओढ़ कर अक्सर लैंगिक शोषण होता है और हमारी आँखें उसे देख नहीं पाती; उस मंशा को बच्चे महसूस कर पाते हैं. पर बच्चों की बात हम महसूस नहीं कर पाते!

भारत में केवल लड़कियां ही असुरक्षा के जाल में नहीं फँसी हैं. लड़के भी बलात्कार और लैंगिक शोषण के शिकार होते हैं. इस विषय को पेश करने का मकसद यह साबित करना कतई नहीं है कि समाज में लड़के असुरक्षित है और लड़कियां सुरक्षित हैं! हमारा समाज इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि लड़के और लड़कियां, दोनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं; पर लड़कों के साथ होने वाले बलात्कार देखे और महसूस नहीं किये जा रहे है. अहम् बिंदु यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा में जिन छः परिस्थितियों का उल्लेख है, उनके मुताबिक बलात्कार केवल "स्त्री" के साथ ही होता है; यानी पुरुष के साथ बलात्कार होता है, यह सच हमारी न्यायिक व्यवस्था की समझ में है ही नहीं! इस धारा में दर्ज है कि जो पुरुष निम्न परिस्थितियों में किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह पुरुष "बलात्संग" करता है;

पहला - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध; दूसरा : उस स्त्री की सम्मति के बिना; तीसरा : उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है; चौथा : जब किसी स्त्री को विवाह का वायदा किया जाता है और इस वायदे के आधार पर विश्वास में लेकर सहमति ली जाती है; पांचवा : विकृतिचित्त या नशे या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दे कर किया जाता है, या ऐसी अवस्था में कि वह कृत्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो; छठा : जब स्त्री सोलह वर्ष से कम आयु की है;

इस धारा का एक अर्थ यह भी है कि पुरुष "बलात्संग" से पीड़ित नहीं हो सकता है. इसके साथ ही धारा 377 के अनुसार "जो कोई पुरुष, स्त्री या जीव-जंतु के साथ प्रकृति की अवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इंद्रीय भोग करेगा, उसे आजीवन कारवास या दस वर्ष तक की अवधि के कारवास से दण्डित किया जाएगा". आमतौर पर लड़कों के साथ किये जाने वाले यौनिक दुराचार को इसी श्रेणी में रखा गया है.

"कुछ गहरे तक जड़ें जमा कर बैठे भयों ने भारतीय परिवारों को लड़कियों और उनके कौमार्य को सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया है. इसके लिए समाज ने कई तरह के सामाजिक और सांकृतिक व्यवहार रचे हैं. इससे पता चलता है कि लड़कियां असुरक्षित हैं, हांलाकि इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है.यह भी सच है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए तानेबाने बनाए गए हैं और उनका विस्तार लड़कों की सुरक्षा के लिए नहीं किया गया है. अब इस अध्ययन (स्टडी आन चाइल्ड एब्यूज:इंडिया 2007) और अन्य अध्ययनों से ये स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं कि लड़के भी उसी हद तक असुरक्षित हैं."

{स्टडी आन चाइल्ड एब्यूज:इंडिया 2007}

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के मुताबिक स्त्री की लज्जा भंग करने के मकसद से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने की स्थिति में दो साल की सजा हो सकती है. यह धारा भी संकेत देती है कि "लड़कों" की लज्जा भंग नहीं होती है.

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत धारा 75 में "बच्चों के प्रति क्रूरता को अपराध माना गया है". यह धारा कहती है कि "ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य, हमला, परित्याग, उत्पीडन या उपेक्षा करेगा, जिससे किसी भी बच्चे को अनावश्यक मानसिक और शारीरिक कष्ट होने की संभावना हो, उसे तीन साल के कारावास या एक लाख रूपए के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा". यह भी एक सच्चाई है कि हमारी व्यापक न्याय व्यवस्था इस क़ानून के प्रावधानों की जरूरत और गंभीरता को महसूस कर पाने में अक्षम रही है.

अब यह उल्लेखनीय है कि लैंगिक (लैंगिक) अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (पोक्सो) में बच्चे की परिभाषा के तहत अठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है! यानी इस क़ानून में लड़के और लड़कियों को लैंगिक शोषण और उत्पीडन से पीड़ित माना जा सकता है.

इस क़ानून की धारा तीन के अनुसार “जब कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनी, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से या उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है या लिंग के अलावा किसी अन्य अंग से भी ऐसा करता या करवाता है और बच्चे के लिंग, योनी या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बच्चे से ऐसा करवाता है; इसे लैंगिक प्रवेशन हमला माना जाएगा”. इस परिभाषा को पढना और स्वीकार करना ही समाज के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है.

अपने अध्ययन में महिला और बाल विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने बाल लैंगिक शोषण को इस तरह वर्गीकृत किया है -

बाल लैंगिक शोषण के गंभीर स्वरुप -

- हमला, जिसमें बलात्कार और पुरुष मैथुन शामिल है;
- बच्चे को छूना और दुलारना
- नुमाइशबाजी - किसी बच्चे को अपने निजी अंगों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करना/दबाव डालना;
- नग्न अवस्था में बच्चे के चित्र लेना

बाल लैंगिक शोषण के अन्य स्वरुप -

- जबरदस्ती चुम्बन लेना
- यात्रा के दौरान किसी बच्चे से लैंगिक व्यवहार के लिए आगे बढ़ना या कोशिश करना;
- विवाह सम्बन्धी परिस्थितियों के दौरान किसी बच्चे से लैंगिक व्यवहार के लिए आगे बढ़ना या कोशिश करना;
- नुमाइशबाजी - किसी बच्चे के सामने प्रदर्शन/नुमाइश करना;
- किसी बच्चे के सामने अश्लील सामग्री का प्रदर्शन करना;

{स्टडी आन चाइल्ड एब्यूज: इंडिया 2007}

पोक्सो क़ानून के आने से पहले तक कानूनी व्यवस्था में यह पक्ष इतनी स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं था. हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पोक्सो क़ानून आने के बाद भी लड़कों के साथ बलात्कार जैसे गंभीर पहलू पर समाज और क़ानून व्यवस्था में सक्रिय कार्यवाही का अभाव है. वास्तविकता यह है कि हमें यह स्वीकार करने में बहुत दिक्कत हो रही कि यौनिकता के सन्दर्भ में समाज इस हद तक कुंठित और अपराधी है और हर दूसरा लड़का लैंगिक शोषण का शिकार हो रहा है. परिवार, समुदाय और सरकार की चुप्पी ने पहले लड़कों को “पीड़ित” बनाया और फिर यही बच्चे मनोवैज्ञानिक-भावनात्मक उपचार और परामर्श के अभाव में आगे चल कर अपराधी और बलात्कारी बनने लगे. जब संकट बढ़ गया तब, सरकार और समाज दोनों मिलकर एक स्वर में इन्हें फांसी देने की मांग करने लगे. ऐसा क्यों है कि इस विषय पर समाज और राज्य, दोनों एक नजरिया रख रहे हैं; ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को सच पता है कि वास्तव में अपराधी ये बच्चे या

वयस्क अपराधी नहीं है, अपराधी तो पितृसत्तात्मक समाज और राज्य है, जिसने यौनिक अपराधों की पटकथा लिखी है!

मौजूदा धारणा के अनुसार बलात्कार की घटना में पुरुष हमेशा "आरोपी" होता है, "पीड़ित" नहीं! हमें यह समझने जरूरत है कि बलात्कार में पुरुष "पीड़ित" होता है! इंडियन जर्नल आफ सायकेट्री में छपे एक आलेख में एक उद्धरण है. नौ साल के एक लड़के को बाल मनोवैज्ञानिक इकाई में लाया गया. वह बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं था, पढ़ाई में तेज़ी से पिछड़ रहा था, उसकी नींद बिगड गई थी, साफ़ दिखाई देने वाली सामाजिक व्यग्रता के चिन्ह थे, और वह एकाकी होने लगा था. किराने की दुकान चलाने वाले पिता ने बताया कि "पड़ोस के कुछ बड़े लड़के उसे दुकान से पैसे चुराकर लाने के लिए बहुत तंग करते थे. जांच में बच्चे के 14 वर्षीय भाई ने बताया कि उसका नौ साल का भाई 'गंदे काम" कर रहा था. उसने बताया कि मैंने मोबाइल में एक वीडियो देखा है, जिसमें एक लड़का, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी, नौ साल के भाई से मुखमैथुन करवा रहा है. यह वीडियो 12 साल के एक अन्य लड़के के द्वारा बनाया गया था. मैंने उस वीडियो को हटा दिया. यह घटना तीन महीने से ज्यादा पुरानी थी. इस वीडियो के आधार पर लड़के को डराया-धमकाया का रहा था और पैसे लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. बच्चे के पिता पोक्सो क़ानून के तहत कार्यवाही चाहते थे, किन्तु चूंकि घटना 3 महीने पुरानी थी, फोरेंसिक प्रमाण नहीं जुटाए जा सके और वीडियो मिटाया जा चुका था, इसलिए कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. बच्चे के पिता केवल कानूनी कार्यवाही के इच्छुक थे, जिसके न होने पर उन्होंने बच्चे के मनौवैज्ञानिक उपचार में कोई रूचि नहीं दिखाई. उनका कहना था कि *"न तो उसकी कौमार्य बनाए रखने वाली यौनिक झिल्ली फटी है, न ही वह गर्भवती होगा. उसे एक पुरुष की तरह आचरण करना चाहिए, न कि एक लड़की की तरह!"*

> बाल लैंगिक शोषण का मतलब है "किसी बच्चे या बच्चों को यौनिक गतिविधि में शामिल करना, जबकि वह (किसी भी लिंग का बच्चा) इसके लिए समझ के साथ सहमति देने, इसके असर को समझने में सक्षम न हो और जो क़ानून और सामाजिक वर्जनाओं का हनन करती हो; बाल लैंगिक शोषण गतिविधि को ऐसे परिभाषित किया किया जाता है कि जब एक बच्चे और किसी अन्य वयस्क व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य बड़े बच्चे (जिसका उम्र और विकास के नज़रिए से उस बच्चे के साथ विश्वास या जिम्मेदारी का कोई सम्बन्ध है और किसी तरह से विश्वास में लेकर या दबाव के जरिये ऐसा करता है) के बीच यौनिक गतिविधि होती है, जिसका मकसद बच्चे के साथ यौनिक सम्बन्ध बना कर अन्य व्यक्ति की जरूरत को संतुष्ट करने या आनन्द की पूर्ति करना होता है." {विश्व स्वास्थ्य संगठन}

इसी इकाई में 4 साल के एक लड़के को लाया गया. उसे बुखार था, गुदा में गहरे घाव थे. पिता के अनुसार उसके साथ स्कूल में बड़े लड़कों ने शौचालय में "दुराचार" किया था. वह बहुत गहरे आघात में था

और परामर्शदाता के सवालों के जवाब बड़ी मुश्किल से केवल “हाँ या नहीं” में दे पा रहा था. उसके मामले में जांचकर्ताओं में संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिससे प्रमाण इकट्ठे नहीं किये जा सके. बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया, वह लड़कों से डरने लगा. केवल जानवर आकृति वाले खिलौनों से खेलता और रात भर जागता रहता. बार-बार वह डर जाता है. पिता कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, पर न्याय व्यवस्था के कठोर रवैये के चलते अवसाद में आ गए. पहले नौकरी छूटी और फिर उन्हें शहर छोड़ देना पड़ा. वे कहते हैं कि “स्कूल से लेकर पुलिस तक ने इस मामले को कमज़ोर किया, क्योंकि आघात लड़की ने नहीं, लड़के ने झेला था.”

क्या यह कोई स्थापित सिद्धांत है कि हमारे साथ सबसे गंभीर अपराध वही करता है, जो हमसे या हम जिससे परिचित होते हैं, जिसे हम जानते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं? कुल बलात्कार और बच्चों से बलात्कार के मामले तो कम से कम यह बता रहे हैं. वर्ष 2007 में भारत में बलात्कार के कुल 20737 मामले दर्ज हुए थे. इनमें से 19188 (93 प्रतिशत) मामलों में बलात्कार करने वाला व्यक्ति पीड़ित महिला या बच्चे का परिचित, रिशेत्दार या जानकार था.

यह स्थिति लगातार बनी हुई है. एनसीआरबी (2016) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में घटित हुए बलात्कार के 38947 अपराधों में 95 प्रतिशत मामलों (38947) में अपराध करने वाला व्यक्ति कोई परिचित और करीबी रिश्तेदार ही था. आज के समाज और मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चे और महिलायें किन पर और किस हद तक विश्वास कर सकती हैं?

इकपेट इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा कराये गए अध्ययन की रिपोर्ट “ग्लोबल स्टडी आन सेक्सुअल एक्स्प्लाइटेशन आफ चिल्ड्रन (वर्ष 2016) बहुत गंभीर स्थिति का खुलासा करती है. यह बताती है कि दुनिया भर में लड़कों को लड़कियों के तुलना में कठोर और मज़बूत होने का अहसास करवाया जाता है. उन्हें घर के बाहर दुनिया से जूझने के लिए प्रेरित किया जाता है. धारणा है कि वे हर आघात सहन कर लेंगे. समाज के ये मानक लड़कों के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि वे अपने साथ होने वाली लैंगिक शोषण को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, वे सोचते हैं कि कहीं उन्हें कमज़ोर न मान लिया जाए. यह रिपोर्ट बताती है कि जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब उनमें कई शारीरिक-मानसिक-भावनात्मक बदलाव होते हैं. तब उन्हें संबल, सहयोग, संवाद और दोस्ताना मार्गदर्शन की जरूरत होती है. यदि परिस्थितियां ऐसी हों, जब परिजनों और परिवार का सहयोग उन्हें नहीं मिले, तब वे अपने बराबर की उम्र वाले, कभी ज्यादा उम्र वाले या ऐसे प्रभावी लोगों के संपर्क में आते हैं, जो इन किशोरों की स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें मंहगी वस्तुओं के शौक और नशे से जोड़ देते हैं. किशोरवय बच्चे इन मंहगे शौकों में सुकून, दोस्ती और आज़ादी ढूंढते हैं. यह आर्थिक रूप से बहुत खर्चीला काम होता है, तब इसे पूरा करने के लिए वे अपना यौनिक शोषण करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शोषण के गहरे चक्र में फँस जाते हैं. इकपेट इंटरनेशनल के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि उपेक्षा, मंहगे शौकों में

फंसे और पारिवारिक सहयोग के अभाव वाले बच्चे इंटरनेट के जरिये भी लैंगिक शोषण के शिकार हो रहे हैं. इससे जब उनकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं, तो वे इस शोषण को "सामान्य मानकर स्वीकार" करने लगते हैं; और इस तरह यह शोषण एक ढांचागत रूप लेता जाता है. हेंड्स आफ होप फाउन्डेशन ने वर्ष 2018 के शुरूआती महीनों में एक सर्वेक्षण किया. इसमें 160 पुरुष शामिल हुए. इनमें से 71 प्रतिशत पुरुषों ने स्वीकार किया कि उनके साथ लैंगिक दुराचार हुआ है. हमें इस व्यवहार पर डाला हुआ पर्दा उठाना ही होगा!

अब अध्ययन बता रहे हैं कि जिन बच्चों, खास तौर पर लड़कों के साथ लैंगिक शोषण-दुराचार हुआ है, वे आगे चल कर खुद सबसे ज्यादा बलात्कार को अंजाम दे रहे हैं. उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें मनौवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं नहीं मिली, उन्हें अपने अपराध बोध के साथ जीने के लिए अकेला छोड़ा दिया गया; तब स्वाभाविक है कि उनका स्वभाव और व्यवहार पर बचपन के लैंगिक दुराचार का गहरा असर पड़ेगा. आज जबकि हम हर रोज 4 माह की बच्ची से लेकर 70 साल की बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की ख़बरें पढ़ रहे हैं, तब हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि ये बलात्कार करने वाले कौन हैं? इनमें यह प्रवर्ति विकसित कैसे हुई? लड़के हमेशा से बलात्कार के लिए आसान लक्ष्य रहे हैं, क्योंकि समाज मानता है कि उनसे बलात्कार हो ही नहीं सकता!

लड़के बलात्कार के आसान शिकार क्यों हैं?

पुणे के 22 साल के एक युवक का कहना है कि "जब मैं पांच साल का था, तब लगातार दो साल तक एक पुरुष ने मेरे साथ यौनिक दुराचार किया. मैं अपने माता-पिता को यह कभी बता ही नहीं पाया क्योंकि मुझे डर था कि मुझे डांटा जाएगा". जबलपुर में एक किशोर से उसके मध्यमवर्गीय पिता ने कहा कि अपनी पढ़ाई के साथ वह आजीविका के विकल्प के रूप में एक कारखाने में जाना शुरू करे, जिससे उसे व्यावहारिक अनुभव होगा. इसके लिए पिता ने किसी कारखाने के मालिक से बात की और वे इसके लिए तैयार हो गए. पिता ने अपने बेटे को इस काम की गंभीरता बताने के मकसद से कहा कि यह कारखाने के मालिक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनका बहुत सम्मान है. यह उनका बड़प्पन है कि वे तुम्हे अपने कारखाने में काम सीखने दे रहे हैं. जो वो कहें, उससे मानना. किशोर बालक के मन में उस व्यक्ति के बड़े होने के बारे में एक छवि बन गई. उसे यह समझ आया कि कारखाने में काम सीखते हुए उसे सबकुछ स्वीकार करना है, क्योंकि उसके मालिक पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. काम के दौरान किशोर बालक के साथ बैठकर मालिक दोपहर का भोजन करने लगे, उसे अपने साथ रखते. इसी तरह उन्होंने बालक के शरीर को छूना शुरू किया और उसका लैंगिक शोषण करने लगे. पिता के सामने

इस व्यक्ति की छवि और पिता के भावनात्मक विश्वास को ध्यान में रखते हुए, वह किशोर बालक अपने पिता को यह बता नहीं पाया कि उसके साथ एक साल तक क्या हुआ?

बच्चों के साथ परामर्श सेवाओं के तहत संवाद करने वाले शोधकर्ता कहते हैं कि लड़कों के साथ होने वाले लैंगिक दुराचार और उत्पीडन के मामलों में परिवार एक ही सोच रखता है - घटना को छिपा कर रखना; परिजन मानते हैं कि लड़का है, समय के साथ इसके असर और और दबाव से ऊबर जाएगा. इसका किसी को पता थोड़े चलेगा; यदि इसके बारे में शिकायत की तो बदनामी होगी और इज्ज़त को ठेस पंहुचेगी. भारत सरीखे पितृसत्तात्मक समाज में लड़कों को जन्म से ही खास तरह की शिक्षा में ढाला जाता है; लड़के मज़बूत होते हैं, वे रो नहीं सकते, वे अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें हर परिस्थिति में खड़े रहना होता है, दर्द होने पर वे पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, वे निडर होते हैं, लड़के ही परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं, उन पर परिवार, कुटुंब और समुदाय को बनाए रखने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है; लड़कियों को इसके शिक्षा मिलती है कि उन्हें पुरुष पर निर्भर रहना है; लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है, उनका सम्मान कौमार्य की झिल्ली के साथ जुड़ा होता है, उनके सम्मान से परिवार और समुदाय का सम्मान भी जोड़ दिया गया है. यही कारण है कि उसे लड़कियों को छिपाकर बंधन में रखा जाता है. लड़कियों के साथ होने वाला यौनिक दुराचार भी परिवार छिपाकर ही रखना चाहता है - गरिमा के लिए; इसके छिपे रहने की एक सीमा है-जब तक कि लड़की गर्भवती न हो; तब घटना सामने आ जाती है. लड़कों के मामले में न तो कौमार्य झिल्ली फटती है, न ही उसके गर्भवती होने का खतरा होता है. यह एक तरह की सामाजिक चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें इंसान को पुरुष और स्त्री बनाया जाता है. इस व्यवस्था में स्त्री को पुरुष की सम्पत्ति के रूप में स्थापित किया जाता है. परिवार और समाज की शिक्षा से यह सुनिश्चित होते है कि आगे चल कर लड़के या लड़कियां; दोनों ही इस व्यवस्था को चुनौती न दें. लैंगिक भेदभाव और पितृसत्ता की पीड़ा और आघात केवल लड़कियां ही नहीं भोगती हैं, वास्तव में पुरुष भी इसकी आग में उतनी ही जलते हैं क्योंकि उन्हें बुनियादी मानवीय स्वभाव के विपरीत आचरण करना पड़ता है. उनके हृदय में प्रेम भी होता है, उन्हें संताप भी होता है, वे गहरे अपराध बोध में भी रहते हैं, उनके साथ भी बलात्कार भी होता है; किन्तु समाज उन्हें ये अभिव्यक्त नहीं करने देता है; क्योंकि इस अभिव्यक्ति से समाज का पितृसत्तात्मक चरित्र में दरार आ सकती है. हिंसा, भेदभाव और गैर-बराबरी की नीव पर निर्मित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो सकते हैं, सम्प्रदाय की सत्ता को भी चुनौती मिल सकती है; अतः यह बात सामने नहीं आने दी जाती है कि लड़कों के साथ भी यौनिक दुराचार और बलात्कार होते हैं; ये थोड़ी सी या असामान्य घटनाएं नहीं है.

भारत में लड़कों के साथ लैंगिक शोषण की स्थिति

वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा बाल शोषण पर एक राष्ट्रस्तरीय अध्ययन करवाया गया. इसके निष्कर्ष डराने वाले थे. उनमें से एक खास निष्कर्ष विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया. 12447 बच्चों में से 53.22 प्रतिशत बच्चों यह स्वीकार किया कि उनके साथ किसी न किसी तरह का "लैंगिक शोषण" हुआ है. जिन बच्चों के साथ लैंगिक शोषण हुआ था, उनमें से 52.94 प्रतिशत "लड़के" थे. यानी इस अध्ययन के मुताबिक लड़कों से ज्यादा लड़कियों के साथ लैंगिक शोषण हो रहा है. राज्यों की बात करने पर पता चलता है कि दिल्ली में जितने बच्चे लैंगिक शोषण का सामना करते हैं, उनमें से 65.64 प्रतिशत "लड़के" होते हैं. बिहार में 52.96 प्रतिशत, गुजरात में 36.59 प्रतिशत, केरल में 55.04 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 42.54 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 49.43 प्रतिशत, राजस्थान में 52.50 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 55.73 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 43.71 प्रतिशत लैंगिक शोषण के मामले "लड़कों" के साथ घटित होते हैं.

12 से 15 साल की उम्र के 51.03 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उनके साथ गंभीर किस्म का लैंगिक शोषण (बलात्कार, निजी अंगों को पुचकारना, यौनिक प्रदर्शन आदि) हुआ है.

यूँ तो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट लड़कों के साथ होने वाले "लैंगिक दुराचार/बलात्कार" के मामलों की अलग से पहचान नहीं दिखाती है; किन्तु जब हम महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कारों के उम्रवार आंकड़ों और बच्चों के साथ होने वाले दुराचार/बलात्कार के आंकड़ों (जो कि भारतीय दंड संहिता और पोक्सो के तहत दर्ज हुए हैं) के एकसाथ रख कर विश्लेषण करते हैं, तब हमें कुछ स्पष्ट आंकड़े नज़र आते हैं.

बच्चों से बलात्कार के मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और लैंगिक (लैंगिक) अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं. इसके साथ ही जब लड़कों के साथ बलात्कार या लैंगिक शोषण होता है, तब कुछ मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (इस क़ानून को अंग्रेजों ने 1862 में लागू किया था. इसके तहत अप्राकृतिक लैंगिक संबंध को गैरकानूनी ठहराया गया है. इसमें समलैगिक संबंधों को अप्राकृतिक कृत्य माना गया है) के तहत भी दर्ज होते हैं.

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) वर्ष 2014 में भारत में 18763 बच्चों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे. उसी वर्ष महिलाओं के साथ बलात्कार के जितने मामले दर्ज हुए थे, उनमें से 14535 महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से कम थी. इस तरह 4228 लड़कों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे. सबसे ज्यादा, 1942 मामले उत्तरप्रदेश में दर्ज हुए थे. इस साल धारा 377 के तहत 769 मामले दर्ज हुए.

वर्ष 2015 में बच्चों के 19767 बच्चों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 11393 थी; यानी 8374 लड़कों के साथ बलात्कार हुआ था. धारा 377 के तहत वर्ष 2015 में 820 मामले दर्ज हुए.

वर्ष 2016 में भारत इसी आंकलन से पता चलता है कि 3057 लड़कों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए. इस साल धारा 377 के तहत 1254 मामले दर्ज हुए.

आंकलन है कि तीन सालों में भारत में 18502 लड़कों से बलात्कार मामले संज्ञान में लाये गए और दर्ज हुए. इससे कहीं गुना अधिक लड़कों के साथ घटी घटनाएं गलियों, परिवारों, धार्मिक स्थानों, खेल के मैदानों में खुले आम बिखरी पड़ी हुई हैं;

वर्ष 2007 के अध्ययन के तारतम्य में देखने पर हमें पता चलता है कि जिस पैमाने पर लड़कों के साथ वास्तव में दुराचार और गंभीर लैंगिक शोषण होता है, उसका बहुत छोटा हिस्सा सामने आ पा रहा है. इस सच्चाई को समाज, व्यवस्था और राजनीति; तीनों मिलकर दबाने-छिपाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं.

लड़के यौनिक दुराचार के लिए आसान शिकार है?

क्योंकि परिवार और समाज इसे स्वीकार नहीं करते हैं और छिपाते हैं! समाज में विद्दमान कुछ परम्पराओं में भी लड़कों का लैंगिक शोषण शुमार है. जब लड़के किसी सांकृतिक व्यवहार या कला में स्त्री की भूमिका निभाते हैं, तब भी उनका शोषण होने की आशंका होती है. सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि पूर्वी भारत में “लौंडा नाच” के तहत भी शोषण होता है. अब इंटरनेट पर लड़कों के साथ लैंगिक व्यवहार के चित्र और वीडियो उपलब्ध हैं. इतना ही नहीं हमें इस सच को भी समझना होगा कि समाज का एक तबका लड़कियों के लैंगिक शोषण को जोखिम भरा काम मानता है, तब उसे “लड़के” आसान शिकार लगते हैं; क्योंकि समाज “लड़कों से बलात्कार” के सच को स्वीकार ही नहीं करता है. दुनिया में जहाँ भी हिंसक टकराव चल रहे हैं, वहां लड़कों के साथ लैंगिक व्यवहार की पूरी व्यवस्था गढ़ी जा चुकी है. घरों के भीतर परिवारों में जिस तरह से आपसी विश्वास की कड़ी टूट रही है, उसका सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है और लड़के “लैंगिक व्यवहार” के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बात सुनने, उन्हें महसूसने और सुरक्षा देने वाला कोई नहीं होता है. इस पहलू पर समाज और सरकार की तरफ से अध्ययन और शोध की बहुत कम पहल हुई है, इसलिए इसकी व्यापकता का सही-सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है. बहुत जरूरी है कि बाल अधिकार, लोक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, आर्थिक नीतियों, कानूनी व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में बच्चों, खास तौर पर लड़कों के साथ होने वाले यौनिक दुराचार की स्थिति और कारकों पर गहरे अध्ययन हों.

भारत में बच्चों के साथ होने वाले उत्पीडन और शोषण को सामने लाने के लिए वस्तुतः मनौवैज्ञानिक सेवाएं और व्यवस्थाएं ही उपलब्ध नहीं है. यहाँ आम तौर पर घटना घटने के बाद हलकी सी हलचल होती है. और मामलों को सुलझाने की कोशिश होती है, मामलों को सुलझाने की इस प्रक्रिया में घटना को छिपाना, उसके प्रमाणों को कमज़ोर करना, उसे महत्वहीन साबित करना या समझौता करने जैसे समाधान होते हैं. बच्चों के जीवन में चार स्थान सबसे ज्यादा अहम् होते हैं - घर, वह स्थान जहाँ वे खेलते हैं, कार्यस्थल और स्कूल; वस्तुतः समाज के भीतर ही इस विषय को खोलने और उस पर बात करने की सबसे बड़ी जरूरत है. इसे छिपाए जाने की परंपरा को बंद किया जाना चाहिए. हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि लड़कों का लैंगिक शोषण करने वाले भी ज्यादातर परिचित और जान-पहचान के लोग हो सकते हैं. सूचना प्रोद्योगिकी और लैंगिक चित्र प्रदर्शन के इस "घातक रूप से विकसित होते" समाज में, बच्चे असुरक्षित हैं. उनके साथ होने वाले लैंगिक शोषण को हम "सम्मान, गरिमा, छवि, धर्म और रिश्तों" की आड़ में छपाने की कोशिश न करें. राजनीतिक विचारधारों ने बच्चों की शिक्षा में शरीर शिक्षा, लैंगिक शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के पाठों को शामिल करने का कई अवसरों पर विरोध किया है. उन्हें लगता है कि किशोर स्वास्थ्य और लैंगिक शोषण से सुरक्षा से जुड़े सन्देश अनैतिक होते हैं. वे यह समझने में नाकाम रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले राज्य की ऐसी सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक नीतियों को मान्यता दे दी है, जो सबसे ज्यादा अनैतिक थी. बाकी सबकुछ तो उन नीतियों के स्वाभाविक परिणाम मात्र हैं.

जब हमने अपनी सामाजिक अर्थव्यवस्था को दाँव पर लगाकर बाज़ार-पूँजी केंद्रित अर्थव्यवस्था को शिरोधार्य किया, तब हम इस सच से अनजान बने रहे है कि ये आर्थिक नीतियां बच्चों के शोषण को भी बढाएंगी. बाल व्यापार, बच्चों का लैंगिक प्रदर्शन (चाइल्ड पोर्नोग्राफी), हिंसक टकरावों में बच्चों का उपयोग और लैंगिक शोषण के नए रूप आर्थिक विकास की नीतियों की देन हैं. हमारे राष्ट्रवादी और उदारवादी - दोनों तरह के सिद्धांतकार यह समझ पाने में नाकाम रहे कि हमें घर, समुदाय और स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के संरक्षण के लिए ठोस परामर्श सेवाओं की स्थापना करने की जरूरत है. इन सेवाओं के अभाव में किसी भी तरह का लैंगिक शोषण होने पर घर, समुदाय और स्कूल उसे बस छिपाने का रास्ता खोजते हैं. वे बच्चे का श्रेष्ठ हित महसूस करने के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं. इस तरह की उपेक्षा बच्चों को हिंसक बना रही है. इतना ही नहीं भारत में बाल संरक्षण व्यवस्थाएं, अदालतें और पुलिस भी लड़कों के साथ होने वाले दुराचारों/बलात्कारों पर कार्यवाही करने के मामले में संवेदनशील नहीं हैं.

बच्चों से लैंगिक अपराध की परिभाषाएं

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज परिभाषाएं

लैंगिक प्रवेशन हमला (धारा - 3) माना जाता है, जब कोई व्यक्ति -

क. अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योंकि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कर्ता है या बच्चे के उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

ख. किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बच्चे की योनी, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

ग. बच्चे के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है, जिससे वह बच्चे की योनी, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

घ. बच्चे के लिंग, योनी, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा करवाता है.

लैंगिक हमला (धारा-7)

- जो कोई, लैंगिक आशय से बच्चे की योनी, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श कर्ता है या बच्चे से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनी, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से ऐसा किसी अन्य कार्य करता है, जिसमें प्रवेशन किये बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है.

लैंगिक उत्पीडन (धारा - 11)

लैंगिक उत्पीडन तब कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से -

क. कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बच्चे के द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जायेगी या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या

ख. किसी बच्चे को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है, जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके;

ग. अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है; या

घ. बच्चे को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या

ङ. बच्चे के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बच्चे के अंतर्ग्रस्त होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति से माध्यम से वास्तविक या गढे गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या

च. अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बच्चे को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है.

अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग (धारा 13)

जो कोई किसी बच्चे का मीडिया के (जिसमें टेलिविज़न चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित है) किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर्ता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है -

क. किसी बच्चे की जननेन्द्रियों का प्रतिदर्शन

ख. किसी बच्चे का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों (प्रवेशन या उसके बिना) करना'

ग. किसी बच्चे का अशोभनीय या अश्लील्तापूर्ण प्रतिदर्शन करना;

घ. वह किसी बच्चे का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयग करने के अपराध का दोषी होगा.

एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर लड़कों के लैंगिक शोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या का आंकलन

राज्य / इकाई	महिलाओं से बलात्कार के कुल दर्ज मामले	महिलाओं से बलात्कार के दर्ज मामलों में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति (लड़कियां)	पोक्सो की धारा 4 और 6 के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित व्यक्ति - 18 वर्ष से कम उम्र	केवल धारा 376 – बाल पीड़ित : (लड़के और लड़कियां दोनों)	बलात्कार से पीड़ित कुल बच्चे - लड़के और लड़कियां	लिंग प्रवेशन के हमले/बलात्कार से पीड़ित लड़के	अप्राकृतिक कृत्य के मामले - धारा 377
	1	2	3	4	5 (कालम 3+4)	6 (कालम 5-2)	7
2014 – कुल	37681	14535	4930	13833	18763	4228	769
मध्यप्रदेश	5085	2354	54	2354	2408	54	85
महाराष्ट्र	3465	1612	123	1724	1847	235	76
आँध्रप्रदेश	962	479	47	479	526	47	1
कर्नाटक	1332	699	300	699	999	300	5
उत्तरप्रदेश	3468	1539	1942	1539	3481	1942	95
राजस्थान	3770	827	82	827	909	82	9
बिहार	1169	103	48	103	151	48	3
तमिलनाडु	1138	679	679	0	679	0	2
तेलंगाना	979	584	6	584	590	6	9
दिल्ली	2102	1008	18	1008	1026	18	130
पश्चिम बंगाल	1466	0	768	0	768	768	12
गुजरात	846	294	92	294	386	92	17
छत्तीसगढ़	1436	806	212	806	1018	212	19
हरियाणा	1185	419	1	419	420	1	108
केरल	1357	763	105	763	868	105	107
2015 – कुल	34771	11393	8833	10934	19767	8374	820
मध्यप्रदेश	4400	1570	680	1570	2250	680	39
महाराष्ट्र	4189	2267	3	2267	2270	3	116
आँध्रप्रदेश	1029	491	132	491	623	132	5
कर्नाटक	589	0	1083	0	1083	1083	7

उत्तरप्रदेश	3029	499	1140	596	1736	1237	179
राजस्थान	3649	731	43	731	774	43	17
बिहार	1041	116	42	116	158	42	7
तमिलनाडु	421	0	1090	0	1090	1090	1
तेलंगाना	1105	706	135	706	841	135	6
दिल्ली	2210	928	12	928	940	12	113
पश्चिम बंगाल	1199	0	1106	0	1106	1106	12
गुजरात	503	57	1120	57	1177	1120	14
छत्तीसगढ़	1561	776	697	317	1014	238	14
हरियाणा	1070	261	124	261	385	124	63
केरल	1268	729	102	729	831	102	143
2016 – कुल	39068	16863	19920	0	19920	3057	1254
मध्यप्रदेश	4908	2479	2479	0	2479	0	93
महाराष्ट्र	4216	2310	2333	0	2333	23	123
आँध्रप्रदेश	995	463	463	0	463	0	7
कर्नाटक	1671	1142	1165	0	1165	23	5
उत्तरप्रदेश	4817	2115	2115	0	2115	0	491
राजस्थान	3657	777	858	0	858	81	10
बिहार	1008	169	170	0	170	1	9
तमिलनाडु	320	0	1188	0	1188	1188	0
तेलंगाना	1278	619	690	0	690	71	4
दिल्ली	2170	800	828	0	828	28	115
पश्चिम बंगाल	1110	0	719	0	719	719	23
गुजरात	986	527	1059	0	1059	532	21
छत्तीसगढ़	1627	984	984	0	984	0	19
हरियाणा	1189	518	532	0	532	14	59
केरल	1661	876	963	0	963	87	170